केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110 067

CIC/AA/A/2020/55
CICOM/A/P/20/00027
CICOM/R/P/2020/00006

अपीलकर्ता का नाम: श्री विनोद प्रताप सिंह
ग्राम – बेलवनवा, पोस्ट – मेंहदावल,
जनपद – संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश।
पिन – 272 271

1.	आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	23.12.2019
2.	आर.टी.आई. आवेदन के जवाब की तिथि	27.01.2020
4.	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, जिन्होंने जवाब दिया	श्री ए0 के0 असीजा, सीपीआईओ, आई.सी.–वी0एन0
3.	प्रथम अपील की तिथि	05.02.2020
5.	निर्णय की तिथि	20.02.2020

प्रथम अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य:-

1. अपीलकर्ता ने अपने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिनांक 25.03.2017 को प्रेषित अपने गैर–अनुपालन याचिका, जो आयोग के द्वितीय अपीलीय आदेश संख्या CIC/BS/A/2015/002193 दिनांक 02.02.2017 के संबंध में थी, पर आयोग द्वारा की गयी संपूर्ण कार्रवाई की सूचना की मांग की थी।

सीपीआईओ का जवाब :-

2. उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन के जवाब में श्री ए0 के0 असीजा, डी0आर0, आई.सी.–वी0एन0 सीआईसी ने प्राथी को उनके दिनांक 25.03.2017 के प्रपत्र पर की गयी कार्रवाई से संबंधित दिनांक 14.01.2020 के पत्र की प्रति प्रेषित कर दी, जो केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक डाक विभाग, बस्ती मण्डल, बस्ती उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया गया था और उनसे इस बात की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया था कि 10 दिनों के अंदर वे आयोग को यह सुनिश्चित करें कि आयोग के द्वितीय अपीलीय आदेश संख्या CIC/BS/A/2015/002193 दिनांक 02.02.2017 के अनुपालन में अपेक्षित कार्रवाई की गयी है। दिनांक 14.01.2020 के उक्त पत्र के साथ उक्त द्वितीय अपीलीय आदेश की प्रति भी संलग्न की गयी थी।

O/C

प्रथम अपील का आधार :-

3 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री ए0 के0 असीजा, डी0आर0, आई.सी.–वी0एन0 सीआईसी के जवाब से असंतुष्ट होते हुए प्रार्थी ने प्रथम अपील दाखिल किया है, जिसमें प्रार्थी ने यह शिकायत

के. सू. आ.
RECEIVED
25 FEB 2020
No.........

की है कि दिनांक 14.01.2020 के पत्र के साथ आयोग के आदेश की प्रति संलग्न नहीं पाई गई है। प्रार्थी ने आग्रह किया है कि प्रश्नगत द्वितीय अपीलीय आदेश की प्रति संलग्न कर प्रार्थी को उपलब्ध कराया जाए।

निर्णय :-

4. प्रथम अपील प्रपत्र, आरटीआई आवेदन और सीपीआईओ के जवाब का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने प्रार्थी को यथोचित सूचना प्रेषित कर दी है। हालांकि प्रार्थी की शिकायत है कि उन्हें जो जवाब प्राप्त हुआ है, उसमें दिनांक 14.01.2020 के पत्र के साथ आयोग के आदेश की प्रति संलग्न नहीं पाई गई है, जैसा कि पत्र में उसे संलग्नित बताया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आयोग केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री ए0 के0 असीजा, डी0आर0, आई.सी.–वी0एन0 सीआईसी को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तुत आदेश की प्राप्ति से 14 दिनों के अंदर प्रार्थी को संबंधित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए दिनांक 14.01.2020 के पत्र की प्रति प्रेषित करें।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि अपीलकर्ता प्रस्तुत निर्णय से असंतुष्ट हैं और चाहते हैं, वो केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष इस निर्णय के विरूद्ध 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक : फरवरी 20, 2020

मीना शर्मा 20/2/2020

(श्रीमती मीना बी0 शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 26162290

प्रतिलिपि :-

Recd 25/2/20

1. **सी.पी.आई.ओ., आर.टी.आई. सेल, सीआईसी, नई दिल्ली।**
2. **श्री ए0 के0 असीजा, डी0आर0, आई.सी.–वी0एन0, सीआईसी, नई दिल्ली।**

25/2/2020